

24.05.2024:—पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं वकील की बहस को मध्यनजर रखते हुए। राजीनाम अनुसार निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपस्थित जारी
हनुमानगढ़

